डिक्री जारी करने का निवेदन किया। पत्रावली वास्ते
आदेश दिनांक 9/5/25 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

9/5/25 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई बाद बातें गण
स्वीकार किया जाकर निर्णय किया जाता है।
निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

प्रमाणित (प्रतिलिपि) प्रतिलिपिक कार्यालय

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

न्यायालय सहायक कलक्टर(द्वितीय),सीकर

उनवान इरशाद बनाम अजीज खां

मुकदमा नं 63/2024

किस्म मुकदमा........दावा ....

दिनांक	आज्ञा पत्र
21.04.2025	पत्रावली प्रार्थना–पत्र मिशल तलबी पर आज दिनांक पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अं0 धारा 152 सीपीसी का पेश किया। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 73 को प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अं0 आदेश 41 नियम 5(2) सीपीसी पर सुना गया। प्रार्थी ने अपने आवेदन में अंकित तथ्यों का दोहराते हुए दोनो प्रार्थना स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र धारा 152 सीपीसी में कथन किया कि दावा संख्या 63/2024 है न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में दावा संख्या 63/2023 अंकित कर दिया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में दावा संख्या 63/2024 अंकित है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 5(2) में कथन किया दिनांक 09.04.2025 को न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय व डिक्री पारित किया गया। जिससे प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 73 असंतुष्ट है। जिसे उक्त निर्णय व डिक्री अपीलेट न्यायालय पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाना आवश्यक है। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 09.04.2025 को वाद में अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिससे असतुष्ट होने पर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 73 अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अं0 आदेश 41 नियम 5(2) सीपीसी का स्वीकार किया जाकर अपीलीय अवधि दिनांक 08.05.2025 तक वाद पारित निर्णय व डिक्री की क्रियान्विति को स्थगित किया जाता है। निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2025 में दावा संख्या 63/2023 के स्थान पर दावा संख्या 63/2024 किया जाता है। लाल स्याही से निर्णय व डिक्री में अंकन हो। पत्रावली पुनः दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर(द्वितीय) सीकर